

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025 E-20917 दिनांक-17.03.2025 एवं शासनादेश सं0-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक-15.04.2025 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-03.06.2025 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री नारायण सिंह, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धारी (नैनीताल) का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार (सुगम से दुर्गम) जनहित में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट (चम्पावत) के पद पर किया जाता है।

श्री नारायण सिंह, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धारी (नैनीताल) को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री नारायण सिंह का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।

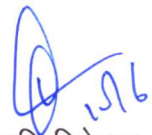
ह0/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/2588 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2025-26 दिनांक : 10.06.2025

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धारी/लोहाघाट।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल/चम्पावत।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
6. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025 E-20917 दिनांक-17.03.2025 एवं शासनादेश सं0-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक-15.04.2025 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-03.06.2025 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्रीमती बबीता भट्ट, सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण, कृषि निदेशालय का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार (सुगम से दुर्गम) जनहित में सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीनगर गढ़वाल के पद पर किया जाता है।

श्रीमती बबीता भट्ट, सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण, कृषि निदेशालय को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्रीमती भट्ट का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।

ह0/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

**कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।**

पत्रांक:-कृ0नि0 / 2589 / स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2025-26 दिनांक : 10.06.2025

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
3. उप कृषि निदेशक, मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण, कृषि निदेशालय।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, नियोजन एवं अनुश्रवण/आहरण वितरण अधिकारी, कृषि निदेशालय।
7. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025 E-20917 दिनांक-17.03.2025 एवं शासनादेश सं0-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक-15.04.2025 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-03.06.2025 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्रीमती ऋतु कुकरेती जुयाल, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल (नैनीताल) का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार (सुगम से दुर्गम) जनहित में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पौड़ी (पौड़ी गढ़वाल) के पद पर किया जाता है।

श्रीमती ऋतु कुकरेती जुयाल, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल (नैनीताल) को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्रीमती जुयाल का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।

ह0/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

**कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।**

पत्रांक:-कृ0नि0/2590 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2025-26 दिनांक : 10.06.2025

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल/पौड़ी।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल।
5. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
6. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025 E-20917 दिनांक-17.03.2025 एवं शासनादेश सं0-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक-15.04.2025 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-03.06.2025 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री प्रवेन्द्र कुमार, कृषि रक्षा अधिकारी, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल) का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार (सुगम से दुर्गम) जनहित में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पाबौ (पौड़ी गढ़वाल) के पद पर किया जाता है।

श्री प्रवेन्द्र कुमार, कृषि रक्षा अधिकारी, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल) को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री कुमार का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।

ह0/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

**कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।**

पत्रांक:-कृ0नि0/ 2591 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2025-26 दिनांक : 10.06.2025

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि रक्षा अधिकारी, नरेन्द्रनगर।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पाबौ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी/पौड़ी गढ़वाल।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025 E-20917 दिनांक-17.03.2025 एवं शासनादेश सं0-1/289938/ XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक-15.04.2025 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-03.06.2025 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्रीमती किरन राना, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अल्मोड़ा का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार (सुगम से दुर्गम) जनहित में सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण, अल्मोड़ा (कोसी) के पद पर किया जाता है।

श्रीमती किरन राना, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अल्मोड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्रीमती किरन राना का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।

ह0/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/ 2592 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2025-26 दिनांक : 10.06. 2025

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अल्मोड़ा।
3. सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, अल्मोड़ा (कोसी)।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी।
7. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025 E-20917 दिनांक-17.03.2025 एवं शासनादेश सं0-1/289938/ XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक-15.04.2025 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-03.06.2025 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री रामनरेश, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पाबौ का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार (दुर्गम से सुगम) जनहित में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चकराता (कालसी) के पद पर किया जाता है।

श्री रामनरेश, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पाबौ को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री रामनरेश का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।

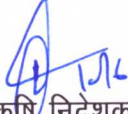
ह0/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/ 2593 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2025-26 दिनांक : 10.06. 2025

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पाबौ/चकराता स्थित कालसी।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
5. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025 E-20917 दिनांक-17.03.2025 एवं शासनादेश सं0-1/289938/ XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक-15.04.2025 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-03.06.2025 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री हिमांशु जोशी, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट (चम्पावत) का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार (दुर्गम से सुगम) जनहित में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल (नैनीताल) के पद पर किया जाता है।

श्री हिमांशु जोशी, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री जोशी का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।

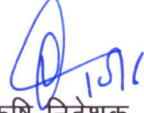
ह0/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

**कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।**

पत्रांक:-कृ0नि0/ 2594 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2025-26 दिनांक : 10.06. 2025

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट/भीमताल।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत/नैनीताल।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
6. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025 E-20917 दिनांक-17.03.2025 एवं शासनादेश सं0-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक-15.04.2025 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-03.06.2025 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री अरविन्द भट्ट, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पौड़ी (पौड़ी गढ़वाल) का स्थानान्तरण वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार श्री भट्ट के अनुरोध के क्रम में (दुर्गम से दुर्गम) कृषि रक्षा अधिकारी, पौड़ी के पद पर किया जाता है।

श्री अरविन्द भट्ट, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री भट्ट का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

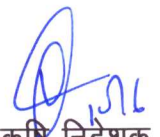
ह0/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

**कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।**

पत्रांक:-कृ0नि0/2596 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2025-26 दिनांक : 10.06.2025

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि रक्षा अधिकारी, पौड़ी।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पौड़ी।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025 E-20917 दिनांक-17.03.2025 एवं शासनादेश सं0-1/289938/ XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक-15.04.2025 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-03.06.2025 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री विनोद कुमार शर्मा, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाड़ेछीना (अल्मोड़ा) का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार (दुर्गम से सुगम) जनहित में सहायक निदेशक, अभियंत्रण, कृषि निदेशालय के पद पर किया जाता है।

श्री विनोद कुमार शर्मा, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाड़ेछीना (अल्मोड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री शर्मा का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।

ह0/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0 / 2595 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2025-26 दिनांक : 10.06. 2025

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाड़ेछीना।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा।
5. उप कृषि निदेशक, तकनीकी सम्प्रेक्षण, कृषि निदेशालय।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, नियोजन एवं अनुश्रवण, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।
7. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
8. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025 E-20917 दिनांक-17.03.2025 एवं शासनादेश सं0-1/289938/ XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक-15.04.2025 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-03.06.2025 में दी गई संस्तुति के आधार पर डा0 नवीन चन्द्र जोशी, कृषि रक्षा अधिकारी, बागेश्वर का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार (दुर्गम से सुगम) जनहित में कृषि रक्षा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर के पद पर किया जाता है।

डा0 नवीन चन्द्र जोशी, कृषि रक्षा अधिकारी, बागेश्वर को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। डा0 जोशी का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। नियमित तैनाती अथवा नियुक्ति होने तक कृषि रक्षा अधिकारी, बागेश्वर के पदीय कार्य दायित्वों का निर्वहन श्री राजेन्द्र उप्रेती, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर द्वारा अपने कार्यों के साथ-साथ किया जायेगा, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते देय नहीं होंगे।

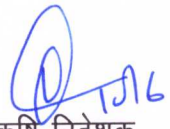
ह0/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

**कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।**

पत्रांक:-कृ0नि0/ 2597 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2025-26 दिनांक : 10.06.2025

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि रक्षा अधिकारी, बागेश्वर/ऊधमसिंहनगर।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर/ऊधमसिंहनगर।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
7. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025 E-20917 दिनांक-17.03.2025 एवं शासनादेश सं0-1/289938/ XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक-15.04.2025 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-03.06.2025 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री सचिन कुमार, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार (दुर्गम से सुगम) जनहित में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल) के पद पर किया जाता है।

श्री सचिन कुमार, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री कुमार का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।

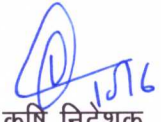
ह0/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/ 2599 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2025-26 दिनांक : 10.06.2025

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी/नरेन्द्रनगर।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी/टिहरी गढ़वाल।
5. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025 E-20917 दिनांक-17.03.2025 एवं शासनादेश सं0-1/289938/ XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक-15.04.2025 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-03.06.2025 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्रीमती दिव्या जोशी, सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार (दुर्गम से सुगम) जनहित में सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण, कृषि निदेशालय, देहरादून के पद पर किया जाता है।

श्रीमती दिव्या जोशी, सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्रीमती जोशी का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।

ह0/-

(रणवीर सिंह चौहान)

महानिदेशक,

कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

**कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।**

पत्रांक:-कृ0नि0 / 2600 / स्था0-2 / श्रेणी-2 / स्थाना0पत्रा0 / 2025-26 दिनांक : 10.06. 2025

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल)।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
5. उप कृषि निदेशक, मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण, कृषि निदेशालय।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, नियोजन एवं अनुश्रवण, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।
7. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025 E-20917 दिनांक-17.03.2025 एवं शासनादेश सं0-1/289938/ XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक-15.04.2025 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-03.06.2025 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री सुघर सिंह वर्मा, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पिथौरागढ़ का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार उनके निजी अनुरोध के आधार पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी के पद पर किया जाता है।

श्री सुघर सिंह वर्मा, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पिथौरागढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री वर्मा का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। नियमित तैनाती अथवा नियुक्ति होने तक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पिथौरागढ़ के पदीय कार्य दायित्वों का निर्वहन श्री अमरेन्द्र चौधरी, कृषि रक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अपने कार्यों के साथ-साथ किया जायेगा, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते देय नहीं होंगे।

ह0/-

(रणवीर सिंह चौहान)

महानिदेशक,

कृषि एवं उद्यान विभाग,

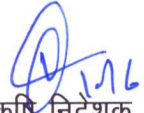
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/ **2601** /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2025-26 दिनांक : **10.06.2025**

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पिथौरागढ़/उत्तरकाशी।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़/उत्तरकाशी।
5. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी।
6. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025 E-20917 दिनांक-17.03.2025 एवं शासनादेश सं0-1/289938/ XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक-15.04.2025 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-03.06.2025 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री सोमांश कुमार गुप्ता, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हरिद्वार (बहादुराबाद) का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार उनके निजी अनुरोध के आधार पर कृषि रक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल (नरेन्द्रनगर) के पद पर मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी गढ़वाल (नरेन्द्रनगर) के अधीन किया जाता है।

श्री सोमांश कुमार गुप्ता, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हरिद्वार (बहादुराबाद) को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री गुप्ता का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। नियमित तैनाती अथवा नियुक्ति होने तक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हरिद्वार (बहादुराबाद) के कार्य दायित्वों का निर्वहन श्री राम कुमार दोहरे, कृषि रक्षा अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अपने कार्यों के साथ-साथ किया जायेगा, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते देय नहीं होंगे।

ह0/-

(रणवीर सिंह चौहान)

महानिदेशक,

कृषि एवं उद्यान विभाग,

उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/ 2602 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2025-26 दिनांक : 10.06.2025

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हरिद्वार (बहादुराबाद)।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार/टिहरी गढ़वाल (नरेन्द्रनगर)।
5. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025 E-20917 दिनांक-17.03.2025 एवं शासनादेश सं0-1/289938/ XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक-15.04.2025 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-03.06.2025 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री सुरेन्द्र कुमार, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार निजी अनुरोध के आधार पर सहायक निदेशक, तकनीकी सम्प्रेक्षण, कृषि निदेशालय के पद पर किया जाता है।

श्री सुरेन्द्र कुमार, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री सुरेन्द्र कुमार का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

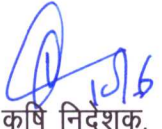
ह0/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/ 2603 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2025-26 दिनांक : 10.06. 2025

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी गढ़वाल (नरेन्द्रनगर)।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, नियोजन एवं अनुश्रवण, कृषि निदेशालय, देहरादून।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025 E-20917 दिनांक-17.03.2025 एवं शासनादेश सं0-1/289938/ XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक-15.04.2025 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-03.06.2025 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री भगवान दास, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार निजी अनुरोध के आधार पर सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, रुद्रपुर के पद पर किया जाता है।

श्री भगवान दास, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री भगवान दास का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

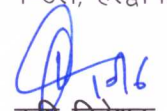
ह0/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0 / 2604 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0 /2025-26 दिनांक : 10.06. 2025

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार।
3. सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, रुद्रपुर।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/ऊधमसिंहनगर।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी।
7. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025 E-20917 दिनांक-17.03.2025 एवं शासनादेश सं0-1/289938/ XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक-15.04.2025 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-03.06.2025 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री संदीप तोमर, प्रभारी कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, मोरी का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार निजी अनुरोध के आधार पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बड़कोट के पद पर प्रभारी के रूप में किया जाता है।

श्री संदीप तोमर, प्रभारी कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, मोरी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री संदीप तोमर का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

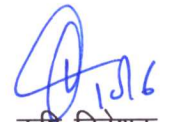
ह0/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0 / 2605 / स्था0-2 / श्रेणी-2 / स्थाना0पत्रा0 / 2025-26 दिनांक : 10/06/2025

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, मोरी/बड़कोट।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी।
5. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025 E-20917 दिनांक-17.03.2025 एवं शासनादेश सं0-1/289938/ XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक-15.04.2025 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-03.06.2025 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्रीमती गीतांजली बंगारी, सहायक निदेशक, सांख्यिकी, कार्यालय-संयुक्त कृषि निदेशक, हल्द्वानी का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार निजी अनुरोध के आधार पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धारी के पद पर किया जाता है।

श्रीमती गीतांजली बंगारी, सहायक निदेशक, सांख्यिकी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्रीमती गीतांजली बंगारी का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। नियमित तैनाती अथवा नियुक्ति होने तक सहायक निदेशक, सांख्यिकी, कार्यालय-संयुक्त कृषि निदेशक, हल्द्वानी के कार्य दायित्वों का निर्वहन श्री प्रेम प्रकाश टम्टा, सहायक निदेशक, सामान्य, कार्यालय-संयुक्त कृषि निदेशक, हल्द्वानी द्वारा अपने कार्यों के साथ-साथ किया जायेगा, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते देय नहीं होंगे।

ह0/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0 / 2606 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2025-26 दिनांक : 10/06/2025

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धारी (नैनीताल)।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी।
6. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025 E-20917 दिनांक-17.03.2025 एवं शासनादेश सं0-1/289938/ XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक-15.04.2025 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-03.06.2025 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री योगेश रूवाली, प्रभारी कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धूमाकोट का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार राजकीय हित में प्रभारी के रूप में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार के पद पर किया जाता है।

श्री योगेश रूवाली, प्रभारी कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धूमाकोट को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री रूवाली का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।

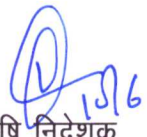
ह0/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

**कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।**

पत्रांक:-कृ0नि0/ 2607 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2025-26 दिनांक : 10/06/2025

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धूमाकोट/कोटद्वार।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
5. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025 E-20917 दिनांक-17.03.2025 एवं शासनादेश सं0-1/289938/ XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक-15.04.2025 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-03.06.2025 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री राजेश खेतवाल, सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1, कार्यालय-कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोपेश्वर का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार राजकीय हित में प्रभारी के रूप में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धुमाकोट के पद पर किया जाता है। श्री खेतवाल की तैनाती प्रभारी के रूप में नितान्त अस्थायी व्यवस्था पर/नियमित तैनाती तक की जा रही है, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते देय नहीं होंगे।

श्री राजेश खेतवाल, सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री खेतवाल का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।

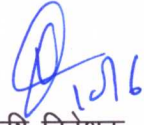
ह0/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0 / 2608 / स्था0-2 / श्रेणी-2 / स्थाना0पत्रा0 / 2025-26 दिनांक : 10/06/2025

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोपेश्वर को इस निर्देश के साथ कि श्री खेतवाल को तत्काल नवीन तैनाती हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धुमाकोट।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली/पौड़ी गढ़वाल।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. गार्ड फ़ाइल।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025 E-20917 दिनांक-17.03.2025 एवं शासनादेश सं0-1/289938/ XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक-15.04.2025 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-03.06.2025 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री हिमांशु उप्रेती, अपर सहायक अभियंता, कार्यालय-कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार राजकीय हित में प्रभारी के रूप में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाड़ेछीना (अल्मोड़ा) के पद पर किया जाता है। श्री उप्रेती की तैनाती प्रभारी के रूप में नितान्त अस्थायी व्यवस्था पर/नियमित तैनाती तक की जा रही है, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते देय नहीं होंगे।

श्री हिमांशु उप्रेती, अपर सहायक अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री उप्रेती का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।

ह0/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0 / 2609 / स्था0-2 / श्रेणी-2 / स्थाना0पत्रा0 / 2025-26 दिनांक : 10/06/2025

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत को इस निर्देश के साथ कि वे श्री उप्रेती को तत्काल नवीन तैनाती हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाड़ेछीना।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी।
7. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. गार्ड फ़ाइल।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025 E-20917 दिनांक-17.03.2025 एवं शासनादेश सं0-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक-15.04.2025 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-03.06.2025 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री राजवीर सिंह, अपर सहायक अभियंता, कार्यालय-कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार राजकीय हित में प्रभारी के रूप में प्रभारी कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, मोरी (उत्तरकाशी) के पद पर किया जाता है। श्री राजवीर सिंह की तैनाती प्रभारी के रूप में नितान्त अस्थाई व्यवस्था पर/नियमित तैनाती तक की जा रही है, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते देय नहीं होंगे।

श्री राजवीर सिंह, अपर सहायक अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री सिंह का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।

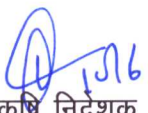
ह0/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0 / 2616 / स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2025-26 दिनांक : 16/06/2025

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ कि श्री राजवीर सिंह को तत्काल नवीन तैनाती हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, मोरी।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025 E-20917 दिनांक-17.03.2025 एवं शासनादेश सं0-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक-15.04.2025 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-03.06.2025 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री आनन्द गोस्वामी, कृषि रक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार राजकीय हित में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अल्मोड़ा के पद पर किया जाता है।

श्री आनन्द गोस्वामी, कृषि रक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री गोस्वामी का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। नियमित तैनाती अथवा नियुक्ति होने तक कृषि रक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा के कार्य दायित्वों का निर्वहन श्री आनन्द गोस्वामी द्वारा अपने कार्यों के साथ-साथ किया जायेगा, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते देय नहीं होंगे।

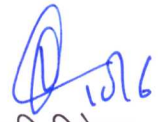
ह0/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/ 2611 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2025-26 दिनांक : 10/06/2025

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अल्मोड़ा।
3. कृषि रक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी।
7. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।